:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक 3457 / सी0ए0डी0एम0 / 2016 इन्दौर, दिनांक 28 / 12 / 2016

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की नारी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के पुरूष के विवाह को प्रतिषेध किया गया है । जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेंगा, संचालित करेंगा, निर्दिष्ट करेंगा या दुष्प्रेरित करेंगा, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के विधिक प्रावधान बनाये गये है ।

म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक मबावि / बाल विवाह / 2015 / 2723 दिनांक 27 / 04 / 2015 के द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये है ।

आगामी समय में विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न समाज एवं संगठनों द्वारा सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते है । इस दौरान विधिक प्रावधानों का पालन करने एवं शासकीय निर्देशों का पालन कराने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, कोटवार, शौर्या दल, चाईल्ड लाईन, लाडो अभियान कोर सदस्य इत्यादि की जवाबदारी निर्धारित की जाती है कि क्षेत्र में कोई भी विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र(बालक का विवाह 21 वर्ष के पूर्व व बालिका का विवाह 18 वर्ष) के पूर्व ना हो ।
2. समस्त स्कूलों के बच्चों को विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र से अवगत कराते हुवे बाल विवाह की दशा में शिकायत स्थानीय पुलिस थाना, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों, चाईल्ड लाईन 1098 पर कराई जावें ।
3. सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त करें कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह को नहीं करेंगे । इसी तरह प्रिन्टिंग प्रेस, टेंट हाऊस, शादी के गार्डन / धर्मशाला मालिक, हलवाई, केटरर, धर्म गुरू, समाज के मुखिया, बैण्ड वाला, नाई, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर इत्यादि सेवा प्रदाता भी उम्र से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर परीक्षण कर(बालक 21 वर्ष या उससे अधिक व बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक) के उपरान्त ही सेवायें प्रदान करेंगे एवं अपनी संस्था में यह नोटिस चस्पा करेंगे कि "लाडो अभियान के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह बाल विवाह होने के कारण सेवायें नहीं देंगे" ।
4. प्रिन्टिंग प्रेस को मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि "वर–वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र" है । उल्लेख किये जाने का पूर्ण प्रयास किया जावें ।
5. विभिन्न समाजों के धर्मस्थलों के सूचना पटल पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व सजा का उल्लेख किया जावें ।
6. अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह रोकथाम अभियान के अन्तर्गत गठित दलों द्वारा सामूहिक विवाहों का निरीक्षण किया जावें एवं यदि कही पर बाल विवाह होना पाया जाता है तो विधि अनुरूप कार्यवाही की जावें ।

सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस के थाना प्रभारी, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, महिला सशक्तीकरण / महिला बाल विकास के सभी अधिकारी उक्त आदेश का पालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित् करेंगे ।

जो भी व्यक्ति अथवा संगठन उक्त आदेश का उल्लंघन करेंगा उसके विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेंगी

Additional District Magistrate
INDORE (M. P.)

उक्तादेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है । अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है ।

यह आदेश दिनांक 28 /12/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 29 /12/2016 से दिनांक 26 /02/2017 तक प्रभावशील रहेगा ।

(अजय देव शर्मा)
अति0 जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

पृ0क्रमांक 3458/री.ए.डी.एम./2016 इन्दौर, दिनांक :28/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. आयुक्त, महिला सशक्तीकरण संचालनालय, भोपाल ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
6. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. अपर कलेक्टर एवं अति0 जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
10. उप संचालक, महिला सशक्तीकरण, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
11. अति0पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र /झोन–1–2/ यातायात/ ग्रामीण क्षेत्र, इन्दौर सम्बन्धित थानों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्रेषित ।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, इन्दौर ।
13. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तीकरण अधिकारी, महिला बाल विकास, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार, खुड़ैल, कम्पेल, साँवेर, महू, देपालपुर, हातोद, सेन्ट्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर ।
15. एस0डी0ओ0(पुलिस), महू, साँवेर, देपालपुर ।
16. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली, संयोगितागंज, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, इन्दौर ।
17. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
18. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
19. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, इन्दौर ।
20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इन्दौर/महू/सांवेर/देपालपुर, जिला इन्दौर ।
21. बाल विकास परियोजना अधिकारी,(समस्त)..जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
22. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
23. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
24. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
25. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर ।

अति0 जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

Additional District Magistrate
INDORE (M.P.)